



संख्या- 19/2021/2071/77-1-2021-1005/342/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,

उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021

विषय:- मिस. सिविल एप्लीकेशन नं०-1306/2018 (अवमाननावाद) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनन्द, गुजरात बनाम मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन लखनऊ में मा० उच्च न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश के अन्तर्गत वादी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर के माध्यम से भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अस्थाई ऋण की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में जारी निर्देशों के अनुसरण में मिस. सिविल एप्लीकेशन नं०-1306/2018 (अवमाननावाद) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद, गुजरात बनाम मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन लखनऊ में मा० उच्च न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश के अन्तर्गत वादी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर के माध्यम से भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0-1,37,94,063.00 (₹0 एक करोड़ सैंतीस लाख चौरानबे हजार तिरेसठ मात्र) का अस्थाई ऋण दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं :-

- 1 मिस. सिविल एप्लीकेशन नं०-1306/2018 (अवमाननावाद) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद, गुजरात बनाम मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन लखनऊ में मा० उच्च न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश के अन्तर्गत वादी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर के माध्यम से भुगतान हेतु वर्ष 2021-22 में उक्त स्वीकृत धनराशि ₹0-1,37,94,063.00 (₹0 एक करोड़ सैंतीस लाख चौरानबे हजार तिरेसठ मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा आहरित कर उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।
- 2 उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 15 प्रतिशत (11.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात् इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

बशर्ते कोई वित्त न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वित्त होने पर निर्धारित 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात् उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

- 3 उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 4 स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थित हो) सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।
- 5 कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 01.12.2021 के अनुपालन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद, गुजरात को भुगतान करने के उपरान्त शासन एवं महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद को तत्काल अवगत कराया जाएगा।
- 6 स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2022 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद को भेजी जाए।
- 7 उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगे।
- 8 उ०प्र० सहकारी कताई मिल्सस संघ लि०, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें:-
 (क)- कोषागार का नाम।
 (ख)- चालान संख्या व दिनांक।
 (ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।
 (घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।
 (च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।
 (छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9 ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।
- 10 धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
- 11 स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 के लेखाशीर्षक-“6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज-800-अन्य कर्ज-03-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुनर्गठन के लिये ऋण सहायता-30-निवेश/ऋण” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के अशासकीय सं0- बी-4-294/दस-2021, दिनांक 29.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)

संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक : यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
6. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4, उ0प्र0 शासन।
8. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।